FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं SDO मुकाम बापट

प्रभुराम बनाम बाका राम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व आपेक्षक नं. 59/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/02/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भा सिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26/3/2021 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बापटु	
26/03/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 07/04/2021 को पेश हो/ए	
07/04/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 04/08/2021 को पेश हो/ए	
04/08/2021	पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 02/12/2021 को पेश हो/ए	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

02/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिशल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/02/2022 को पेश हो।

16/02/2022 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुउपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेठा सेठ आये हुए है खेतों के मध्य जो पुरानी माठे व कणे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेठो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेठो को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेठो का सही ज्ञान करना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी [illegible] अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की [illegible] पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर [illegible] होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 18:03:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2021 / 43 दिनांकः– 16/02/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. प्रभुराम पुत्र नवलाराम
जाति कुम्हार, निवासी हुडो की ढाणी,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. बांकाराम पुत्र उदाराम वगैरा 16
जाति जाट, निवासी हुडो की ढाणी,
पटवार मण्डल कोसरिया,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 59 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – हुडो की ढाणी, पटवार मण्डल – कोसरिया, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 520 / 288, 522 / 289 रकबा क्रमशः 2.6616, 4.9996 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 16/02/2022

(SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2021 / 44-48

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री प्रभुराम पुत्र नवलाराम
4. विप्रार्थी श्री बांकाराम पुत्र उदाराम वगैरा 16
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु